मारुप-उ०

#### FORM-4

(For Liner Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector New Tehri

No .. 833 / XXVI - 67 (2018-2019)

Dated . 22 · 8 · 19

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.908 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of forest department (E.E. Cons.Divi Pey jal Nigam, Chamba) for Chamba (Reorg.) pumping Water Supply Scheme (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of village (s) in Tehri Tehsil.

It is further certified that.

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.908 Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed in annexure.
- (b) The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural communities.

Enclosure. As above

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Sebsadhan
Vikas Evam Nirmen Nigam
Chamba (Tehri Gartiwal)

उप जिल्लाधिकारी टिइरी टिहरी गढवाल।

Form 4 Chamba (recon.) WSS

It is Further certified that Minutes fo meeting Chamba (Reorg.) Pumping Water Supply Scheme regarding FRA is as following.

Sl. No.		Remark	
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.908 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.	
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.	
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre- agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.	

जिला पंचायत सदस्य

िता -दिशी पंजान

स्वासा क्ष्माण किर्माण अधिकारी दिहरी सहस्रान्। दवाल प्रतिहस्ताक्षरित प्रदेशीय बनाधिकारी टिक्स्से कन प्रमान नक्टिहरी

Executive Engineer Construction Division Uttarakhand Peyjal Sahsadhan Vikas Evam Nirman Nigam Chamba (Tehri Garhwal) (डॉ) बीठ ष्यम्मन् ) जिल्लाधिकारी टिहरी महवाले।

उप जिलाधिकारी टिहरी टिहरी गढ़वाल।

## परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढवाल के चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण।

## जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के चम्बा ब्लॉक के चम्बा नगर (पुर्न0) पिन्पंग पेयजल के निर्माण हेतु 0.908 हैं0 वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु जल निगम, चम्बा को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एस0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ0सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह ( Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अधिशासी अभियन्ता, उत्तरसंखण्ड पेयजल निगम, चम्बा (टि0ग0)

जिलाधिकारी विक्रिमार्गे अधिकारी टिहरी गढवाल

उप जिल्लीधकारी टिहरी टिहरी गदवाल।

## OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTRAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule Tribes & Other Traditional Fores Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District Constituted under FRA 2006 wad held under the chairmanship of Dr. B. Shanmugam I.A.S. District Collector, Tehri Garhwal at New Tehri in Which the applicant claiming rights in Chamba Block area measuring 0.908 Hectare for the costruction of Chamba (Reorg.) Pumping Water Supply Scheme in Tehsil Tehri of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level committee recommended the above case for diversion for diversion for the said purpose.

Place - Tehri

Executive Engineer Construction Division Ultarakhand Peysia Sensadhan Vikas Evem Nicoron Nigem Chamba (Tehri Garhwai) District Collector Cum Chairman
District Tehri Gahya

उप जिलाधिकारी टिइरी टिइरी गढ़वाल।

### प्राह्म -30-2

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढवाल के चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना का

### कार्यालय उप जिलाधिकारी टिहरी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण -पत्र

### उपखण्ड स्तरीय समिति टिहरी

तहसील टिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत चम्बा नगर (पूर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण (आरक्षित वनभूमि 0.3698 है0, सिविल सोयम भूमि 0.5382 है0 कुल भूमि 0.908 है0) जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य पुरम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीर्टा डेविकार , उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

श्री रमा अववास

उपजिलाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आश्रीक रिमरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी

श्री - २१.57 % । जिर् २१७१) • सहायक समाज कल्याण अधिकारी

सदस्य

श्रीमती कबीता की हान

जिला पंचायत

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चम्बा नगर (पुर्न0) पिन्पंग पेयजल योजना हेतु 0.908 है0 वनभूमि जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मित से तहसील टिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत चम्बा नगर (पुर्न0) पिम्पंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0. 908 हैं0 वनभूमि जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील टिहरी जनपद टिहरी

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सरस्य जिला चेनायत क्षेत्र संगी वार्त-16 विज्ञा निक्ती गुरुवल

सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड च्या (टि० ग०) उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील टिहरी जनपद टिहरी

2

प्रतिहस्ताक्षरित प्रकृतीय वनाधिकारी रिहरी वन प्रभाग नई टिहरी

# परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढवाल के चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण।

### उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के चम्बा ब्लॉक के चम्बा नगर (पुर्न0) पिन्पंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हैं0 वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु जल निगम, चम्बा को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एस0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभिधुला उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा (टि०ग०) तहसीलदार (र

उपिकासिकिसीरी टिक्टी स

# परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पिन्पंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सीयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

### प्रारूप - 30.3

### वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नगर पालिका का नाम — चम्बा। तहसील — टिहरी, जिला टिहरी गढवाल,

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अन्तर्गत नगर पालिका चम्बा हेतु चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु (0.3698 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0. 5382 हे0 सिविल सोयम, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.908 हे0 भूमि का पेयजल निगम चम्बा के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित

करने हेत् आवेदन प्रस्तृत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगर पालिका चम्बा द्वारा दिनांक .!.3...8.19.... को सम्पन्न नगर पंचायत / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में नगरवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी नगरवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी नगरवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगर पालिका चम्बा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका चम्बा के नगर वासियों को उक्त वनभूमि चम्बा नगर (पुर्न0) पिम्पंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

अधिशासी अधिकारी / सचिव अधिशासी अधिकारी नगुरु पार्टिक अधिकारी नगुरु पार्टिक अधिकारी विहरी गढ़वाल ह० /-अध्यक्षका नगर पालिकी पश्चिम्बा

# परियोजना का नाम:- चम्बा नगर (पुर्न०) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का ३० वर्षों की लीज पर दिया जाना।

### प्रारूप - 30.4

### नगर पालिका का नाम - चम्बा।

郊0	नगर पालिका में उपस्थित वरिष्ठ नगरवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	स्नीमाते समना रमाला अस्थस	Soula
02	शत कमा वसी कार्या आहे कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य .	
03	श्रीमती विजय लक्ष्मी चीहान संभासद	Shoulder
00 1	उच्चिर किर्द यायर	The
5	मिनारमा निमारी सामाध्य	Marro rama
6)	PRASHANT UNIVAL HONING	Just
7	शाक्ति प्रमाद जोशी (समासद)	tenja
8	Sunajeura Shah (-11-2506)	Surgen